# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 17.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 17.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी जो दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.उदित नारायण उर्फ गुड्डू पुत्र झल्लू उर्फ शिवभजन कोटार्य निवासी सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 2. कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा रैदास पुत्र चुक्कीलाल रैदास निवासी मनोहरबाबा का पुरवा ऐंचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 3.बिन्देश्वरी तिवारी उर्फ खुत्थी पुत्र सत्यनारायण तिवारी निवासी ऐंचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 4. सत्या उर्फ सत्यनारायण पुत्र दादूलाल निवासी पचपेड़ा रूकमा खुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 5.नत्थू यादव पुत्र कामता प्रसाद यादव निवासी पचपेड़ा रूकमा खुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

**(4).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 17.05.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 62/2018 धारा 354,506 भादवि व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त बबलू केवट पुत्र रामआधार केवट निवासी कटैया खादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**<u>घटना का विवरणः-</u>**

दिनाँक 25.03.2018 को एक वादी द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि अभियुक्त बबलू केवट पुत्र रामआधार केवट निवासी कटैया खादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा उसकी लड़की 15 वर्ष को बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़खानी एवं गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 62/2018 धारा 354,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव द्वारा सम्पादित की गयी। उपरोक्त विवेचक द्वारा आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 02.05.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

**(5).** आज दिनाँक 17.05.2025 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी०एन० व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार राजापुर में किया गया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है उसका रजिस्टर में भी उल्लेख होना चाहिए और सम्बन्धित व्यक्ति को भी अवगत कराये की आपकी समस्या का समाधान हो गया है। जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने भूमि सम्बन्धित मामलों पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से कहा कि राजस्व, चकबंदी एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह,थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं राजस्व,पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

**(6).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामप्रसाद निषाद पुत्र स्व0 भगवानदीन निषाद उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-**

1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना राजापुर
2.आरक्षी बुद्धसेन विक्रम
3.आरक्षी रोहित आर्य

(7).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वाँछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी मण्डी समिति थाना कोत0 कर्वी मय हमराह आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा मु0अ0सं0 669/2024 धारा 108,115(2), 352 बीएनएस के वांछित अभियुक्त अनिकेत सिंह पुत्र रामदिनेश निवासी तेन्तुआमाफी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री अंशूल कुमार थाना कोत0 कर्वी मय हमराह आरक्षी संजीव सोनी द्वारा मु0अ0सं0 288/2025 धारा 74,352,351(2), 109 बीएनएस के वांछित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र राजकुमार निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii).उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप मय हमराह मुख्य आरक्षी कलीमुद्दीन द्वारा मु0अ0सं0 84/2025 धारा 76,137(2) बीएनएस व 9/10 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5ए के वांछित अभियुक्त बन्धू पुत्र रामप्रताप उर्फ सुखचैना उम्र 41 वर्ष निवासी दुगवां थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।